



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 126 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.या.वि. / 2017 नया रायपुर, दिनांक 22-06-2017

तकनीकी परिपत्र क्रमांक- 03 / 2017


प्रदेश में क्रियान्वित समस्त सोलर ड्यूल पंप योजना एवं सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना अंतर्गत स्थापित टंकियों की सफाई एवं क्लोरीनेशन वर्ष में न्यूनतम दो बार (वर्षा ऋतु के पूर्व एवं पश्चात) किया जाना सुनिश्चित किया जावे। टंकियों की सफाई का कार्य विभाग के उप-अभियन्ता की उपस्थिति में किया जावे एवं इस बाबत संबंधित ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र भी लिया जावे जिसमें टंकी सफाई की तिथि भी उल्लेखित हो। टंकियों के सफाई कार्य की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु उपखंड स्तर पर एक पंजी भी संधारित की जावे।

स्थापित टंकियों के जल का भौतिक, रासायनिक, बैक्टेरियोलॉजिकल परीक्षण वर्ष में न्यूनतम 2 बार विभागीय खंड स्तरीय / उपखंड स्तरीय / चलित प्रयोगशाला में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 22-6-17

पृ.क्र. 4887 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.या.वि. / 2017
प्रतिलिपि-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / दुर्ग / अंबिकापुर / कोण्डागॉव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त कार्यपालन अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर